

प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय भू-उपयोग में अनुमन्य क्रियाओं का विवरण-

| सामान्यतः अनुमन्य | सशर्त अनुमन्य | | | | विशेष अनुमति से अनुमन्य |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (A) न्यूनतम 12.0 मी0 चौड़े मार्ग पर | (B) न्यूनतम 18.0 मी0 चौड़े मार्ग पर | (C) न्यूनतम 24.0 मी0 चौड़े मार्ग पर | (D) न्यूनतम 30.0 मी0 चौड़े मार्ग पर | |
| एकल आवास, संबंधित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास, सैल्यूलर मोबाईल सर्विस / पी.सी.ओ., सर्विस अपार्टमेण्ट, वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र, डाकघर / तारघर, ट्यूब वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र / सबस्टेशन, डस्टबिन / कूड़ा एकत्रीकरण स्थल, समुदायिक शौचालय, ए.टी.एम., सेलुलर / मोबाईल टावर, पार्किंग स्थल, टैक्सी रिक्शा, टैम्पो आदि के स्टैण्ड, पार्क, | समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग), दैनिक उपयोग की दुकानें* (अनुलग्नक 1क के अनुसार), शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी / नर्सिंग होम* (अधिकतम 10 शैय्याओं तक) | फुटकर दुकानें* (अनुलग्नक-1 के अनुसार) अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत, कोयला एवं लकड़ी के टाल, होटल, भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन*, सेवा / कुटीर उद्योग*, राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, निजी कार्यालय, एजेन्ट कार्यालय (अधिकतम अनुमन्य कुल आच्छादन का 30 प्रतिशत), बैंक, साइबर कैफे*, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग / बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, | शोरूम* (मोटर वाहनों के अतिरिक्त), बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक), सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन / सी.बी.जी. फिलिंग स्टेशन / ई-चार्जिंग स्टेशन*, पुलिस / चौकी / अग्नि शमन केन्द्र, हेल्थ क्लब / जिमनेजियम*, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि*, योगमनन, आस्था एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन*, सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र*, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट / सीवेज पम्पिंग स्टेशन, मोटर | महाविद्यालय*, बारातघर, बैंकट हॉल, कान्फ्रेन्स / मीटिंग हॉल* | अतिथि गृह / निरीक्षण गृह, टेलीफोन रेडियो एवं टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र, समाज कल्याण केन्द्र, स्टेडियम / खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र / क्रीडा स्थल / खेल का मैदान, धोबीघाट, साप्ताहिक बाजार |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| बागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन | | उच्च माध्यमिक/इण्टर विद्यालय, पुस्तकालय /वाचनालय, अस्पताल (अधिकतम 30 शैय्याओं तक), नैदानिक प्रयोगशाला, संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, धार्मिक भवन, बस स्टॉप, बहुउद्देशीय खुले स्थल, मनोरंजन पार्क, क्लब, स्वीमिंग पूल | गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप, अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल*, वेन्डिंग जोन* | | |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

नोट—

- * फुटकर दुकानें, भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन/सी.बी.जी. फिलिंग स्टेशन/ई-चार्जिंग स्टेशन, साइबर कैफे, निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 12.0मी0 चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।
- * सेवा/कुटीर उद्योग **अनुलग्नक-2 के अनुसार** (5 हार्स पावर तक) निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 12.0मी0 चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।
- * नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 18.0मी0 चौड़े मार्ग पर अधिकतम 30 शैय्याओं तक अनुमन्य है।
- * शोरूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त), हेल्थ क्लब/जिमनेजियम, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि, योग मनन, आस्था एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन, सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र, कान्फ्रेन्स/ मीटिंग हॉल, अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल, वेन्डिंग जोन निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 18.0 मी0 चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।
- * दैनिक उपयोग की दुकानें, महाविद्यालय निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 24.0मी0 चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

फुटकर उपयोग के दुकानों की सूची –

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैंक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी.सी.ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग व बुटीक
18. घड़ी मरम्मत
19. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
20. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
21. केवल टी०वी० संचालन, वीडियो पार्लर
22. प्लम्बर शाप
23. विद्युत उपकरण
24. हार्डवेयर
25. टायर पंचर की दुकानें
26. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
27. कपडे इस्तरी करना
28. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

29. लाण्डी, ड्राई-क्लीनिंग
30. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
31. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
32. सोना तथा चाँदी का कार्य
33. जूते का फीता तैयार करना
34. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
35. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
36. फोटो फ्रेमिंग
37. जूता मरम्मत
38. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
39. बेकरी, कन्फेक्शनरी
40. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
41. फर्नीचर
42. साईबर कैफे
43. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक-1 (क)

अनुलग्नक-2

दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची :-

(अधिकतम आच्छादन 15.00 वर्ग मी०)

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. पान, बीडी, सिगरेट
6. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
7. ब्यूटी पार्लर
8. हेयर ड्रेसिंग
9. कपडे इस्तरी करना

नोट:- मूल क्रिया के भवन हेतु निर्धारित अग्र सेट-बैंक को छोड़ने के उपरान्त ही उपरोक्त वर्णित दैनिक उपयोग की दुकानें निर्मित की जा सकेंगी।

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची
(5 हार्स पावर तक)

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी०वी०रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. साइकिल की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग
20. साईबर कैफे

प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में पार्क एवं खुले स्थल (मनोरंजनात्क-1) भू-उपयोग में अनुमन्य क्रियाओं का विवरण-

| सामान्यतः अनुमन्य | सशर्त अनुमन्य | | विशेष अनुमति से अनुमन्य |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (A) स्थल के कुल 5 प्रतिशत क्षेत्र तक | (B) केवल खुले रूप में एवं अस्थाई निर्धारित स्थानों पर | |
| बायोटेक पार्क, सामुदायिक शौचालय, पार्क, बहुउद्देशीय खुले स्थल, बागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन | ट्यूब वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र / सबस्टेशन, माईक्रोवेब केन्द्र | पार्किंग स्थल, टैक्सी रिक्शा, टैम्पो आदि के स्टैण्ड | संबंधित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, डस्टबिन / कूड़ा एकत्रीकरण स्थल, बसस्टाप |

प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में कृषि भू-उपयोग में अनुमन्य क्रियाओं का विवरण-

| सामान्यतः अनुमन्य | सशर्त अनुमन्य | | | | | | विशेष अनुमति से अनुमन्य |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (A) नगर प्रस्तावित मुख्य मार्गों, ग्रामीण आबादी एवं नगरीय सीमाओं से न्यूनतम 300 मी० की दूरी पर | (B) न्यूनतम 12.0 मी० चौड़े मार्ग पर | (C) केवल संक्रामक रोगों से संबंधित | (D) न्यूनतम 30.0 मी० चौड़े मार्ग पर | (E) केवल शहर के विकसित आबादी के बाहर निर्धारित स्थानों पर | (F) केवल खुले रूप में एवं अस्थाई निर्धारित स्थानों पर | |
| कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र, शीतगृह, मौसम अनुसंधान केन्द्र, ट्यूब बेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत्केन्द्र / सब-स्टेशन, वाटर वर्क्स, माइक्रोवेव केन्द्र, कम्पोस्ट प्लाण्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट, प्लाण्ट, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, सेलुलर/मोबाईल टावर, पार्क, बागवानी, पौधशाला, वन, उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन, धोबीघाट, साप्ताहिक बाजार, अस्थाई | भण्डार, गोदाम, वेयर हाउसिंग, संग्र० केन्द्र, जंकयार्ड, कबाड़, गैसगोदाम/ज्वलन, नाश एवं आपात वस्तुओं का भण्डार | प्राथमिक शैक्षिक संस्थान | अस्पताल | नैदानिक प्रयोगशाला | कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड, पशुवध शाला, चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटिल कॉलोनी | कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल | संबंधित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास, थोक मण्डी / थोक व्यापार, नीलामी बाजार, कोयला एवं लकड़ी के टाल, रिसार्ट, मोटल, वे-साईड रेस्तरां (ढाबा), भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सैल्यूलर मोबाईल सर्विस/पी.सी.ओ., पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन/सी.बी.जी. फिलिंग स्टेशन / ई-चार्जिंग स्टेशन, सेवा एवं कुटीर उद्योग, सूचना प्राद्योगिकी / सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, फ्लोर मिल, संकटपूर्ण / खतरनाक / |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल, सभा स्थल</p> | | | | | | <p>प्रदूषण कारक उद्योग, खनन ईट/चूने का भट्ठा, क्रेशर, तेल डिपो/ एलपीजी रिफिलिंग प्लांट, पाश्चराईजिंग प्लांट / दुग्ध संग्रहण केन्द्र, विद्युत उत्पादन संयंत्र, लॉजिस्टिक पार्क/वेयर हाउसिंग, पी.ए.सी./पुलिस लाईन्स, बायोटेक पार्क/ बिजनेस पार्क, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैण्डीकैप्ड, चिल्ड्रेन हाउस, वृद्धावस्था, देखभाल केन्द्र, उच्च माध्यमिक/इण्टर विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक /इन्जी./ मेडिकल / डेण्टल कालेज, प्रबन्ध संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी /अग्निशमन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी, विद्युत शवदाह गृह/शमशान, कब्रिस्तान, संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, धार्मिक भवन, पार्किंग स्थल, टैक्सी रिक्शा, टैम्पो</p> |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>आदि के स्टैण्ड, ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो, बस स्टाप, बस टर्मिनल, मोटर संचालन प्रशिक्षण केन्द्र, लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धी सुविधायें, रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड / साइडिंग / टर्मिनल, धर्मकांटा, एयरपोर्ट, बहुउद्देशीय खुले स्थल, गोल्फ / रेसकोर्स, स्टेडियम / खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र / क्रीडा स्थल / खेल का मैदान, ट्रैफिक पार्क, मनोरंजन पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, चिड़िया, जल-जीवशाला, वन्य जीव / पक्षी शरण स्थल, फ्लाइंग क्लब / हैली पैड, शूटिंग रेंज, फार्म हाउस, सुअर / मत्स्य / कुककुट / मधुमक्खी पालन, पशु संवर्द्धन केन्द्र, कृषि उपकरणों की मरम्मत / सर्विसिंग वर्कशॉप, थोक व्यवसायिक, विशेष उद्योग (संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषण कारक),</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|